

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम, बिरौल
मध्यस्थता केन्द्र , बिरौल

T.R. No. 4359/23

CRI – 477/24

लक्ष्मण ठाकुर बनाम बैजनाथ ठाकुर एवं अन्य

दिनांक	आदेश	
<u>28.07.2026</u>	उपरोक्त वाद समन्वयक, मध्यस्थता केन्द्र, बिरौल के द्वारा मध्यस्थता हेतु हस्तगत कराया गया, तदोपरांत उभयपक्ष नियत तिथियों पर मध्यस्थता केन्द्र में सदेह उपस्थित हुए। उभयपक्षों की बीच सुलह हेतु मध्यस्थता के लिए प्रयास किया गया। तदनुसार उभयपक्ष सुलह हेतु तैयार हुए। अतएव उपरोक्त वाद उभयपक्षों के बीच सुलह सफल होने के उपरांत संबंधित माननीय न्यायालय को समर्पित किया जा रहा है। लेखापित A.C.J.M-I Biraul	

